न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—66 / 17 (2017 / 00118) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लक्ष्मण पिता उकांर सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कजोड़ पिता उकांर सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जसराज पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शान्तिलाल पिता हुंक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नेनुराम पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—गोरधनलाल पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—जगन्नाथ पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—किशनलाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—प्रकाशचन्द्र पिता भवंरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—घीसुलाल पिता मोहनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—मदनलाल पिता मांगु खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—उदी पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—सीता पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—पुष्पा पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—अणछी पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17—जगदीश पिता मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18—जेती बैवा मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19—बालु पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
20—मोडीराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
21—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
22—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
23—ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर तहसील रायपुर जरिये व्यवस्थापक
24—स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
25—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 24 ... 5 हे0 अन्य आराजियात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested

साथ खाता संख्या 500 पर दर्ज रकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 की आराजी संख्या 23 रकबा 0.27 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 54 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 20 के सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1438 रकबा 0.54 है0 भूमि ग्राम रायपुर की सीमा मै खाता संख्या 402 पर दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी संख्या 25 रकबा 0.98 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 258 पर दर्ज रकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी आराजी संख्या 23 व 24 में आवगामन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 20 की आराजी संख्या 1438 रकबा 0.54 है0 जो रायपुर सरहद में स्थित है की दक्षिणी पाली पर होकर आगे अपनी आराजी संख्या 23, 24 में फसल काश्त करते आ रहे है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने में कोई अवरोध नही किया परन्तु इस वर्ष फसल लाने ले जाने में ऐतराज किया और प्रार्थीगण के रास्ते को पत्थरो को अस्थाई कोट चुनकर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो गया। प्रार्थीगण की आराजियात में पहुॅच का एकमात्र रास्ता यही है और विपक्षीगण की आराजियात मौके पर पड़त होकर मगंरी के रूप में है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 20 की आराजी संख्या 1438 की दक्षिणी पाली पर जो रायपुर सरहद में स्थित है तथा केमुणिया की सरहद में स्थित आराजी संख्या 25 की पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में अकंन कराया जाने एंव रास्ते मैं की गई बाधा अवरोध को हटाई जाने व नियमानुसार डीएलसी दर जमा कराने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 4, 5, व 7 लगायत 12 एवं 17 लगायत 20 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निणर्य लिया गया। तथा विपक्षी सख्या 2, 3, 6, व 13 लगायत 16 अदम हाजरी अदम पैरवी से एकतरफा कार्यवाही की गई। एवं विपक्षी संख्या 21 लगायत 25 फौरमल पक्षकार होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केमुणिया की आराजी नम्बर 24 व 23 में आवागमन ग्राम रायपुर से पालरां जाने वाली सड़क से ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 1437 रकबा 0.41 है0 की उत्तरी सीमा पर बिन्दु रूप में (डोटेड) रास्ता दर्ज होकर खुला है जो प्रार्थीगणो के शामलाती है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण आवागमन कर रहे है इससे आगे विपक्षीगणो की आराजी संख्या 1438 रकबा 0.54 है0 एवं ग्राम केमुणिया की आराजी नम्बर 25 रकबा 0.98 है0 मे होकर प्रार्थी की भूमि में आवागमन होता है। वर्तमान में रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। एवं मौक पर भी रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर उक्त भूमि मंगरी होकर पड़त है। मौके पर रायपुर की आराजी नम्बर 1438 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता बन्द कर रखा है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 23 की उत्तरी पूर्वी पश्चिमी एवं आराजी नम्बर 24 की पश्चिमी सीमा पर प्रार्थी का गेट लगा रखा हैं जिसके बाहर कच्चे पत्थर डालकर रास्ता बन्द कर रखा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर रास्ता बन्द होने से प्रार्थीगणो द्वारा अपनी आराजी में आवागमन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगणो द्वारा आवेदित रास्ता ग्राम रायपुर की आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1438 मे से रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा से 12229 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 24058 रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं ग्राम केमुणिया की आराजी नम्बर 25 मे से रकबा 0.0350 है0 यानि 350 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 111906 रूपये प्रति बीघा से 18124 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 36248 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त भूमि असिंचित है परन्तु सड़क सीमा के पास होने से बाजार दर अधिक है इसलिए डीएलसी दर अधिकतम प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है एवं वैकल्पिक रास्ते को हरी स्याही से दर्शाया गया है। ग्राम केमुणिया के आराजी नम्बर 2, 3 व 4 पर अकिंत वादीगणो के परिवारजनो की भूमि है जिसमें वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। हरी ईंक से दर्शाया गया है।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते से ही अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 20 ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 1438 मे से रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा से 12229 रूपये भूमि किमत की दुगुनी 24058 रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं ग्राम केमुनिया की आराजी नम्बर 25 मे से रकबा 0.0350 है0 यानि 350 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 111906 रूपये प्रति बीघा से 18124 रूपये भूमि किमत की दुगुनी 36248 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा सम्बधित विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:10:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—66 / 17 (2017 / 00118) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लक्ष्मण पिता उकांर सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कजोड़ पिता उकांर सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जसराज पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शान्तिलाल पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नेनुराम पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—गोरधनलाल पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—जगन्नाथ पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—किशनलाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—प्रकाशचन्द्र पिता भवंरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—घीसुलाल पिता मोहनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—मदनलाल पिता मांगु खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—उदी पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—सीता पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—पुष्पा पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—अणछी पुत्री मांगु (मांगीलाल) खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17—जगदीश पिता मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18—जेती बैवा मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19—बालु पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
20—मोडीराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
21—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
22—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
23—ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर तहसील रायपुर जरिये व्यवस्थापक
24—स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
25—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 20 ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 1438 मे से रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा से 12229 रूपये भूमि किमत की दुगुनी 24058 रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं ग्राम केमुणिया की आराजी नम्बर 25 मे से रकबा 0.0350 है0 यानि 350 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 111906 रूपये प्रति बीघा से 18124 रूपये भूमि किमत की दुगुनी 36248 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा सम्बधित विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

8.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:10:32 IST
Reason: SelfAttested